

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक : एफ17(15)2/रा.ज.आ.प्रा./ट्रेनिंग/2022/1601

दिनांक: 30-06-2025

संयुक्त/उप निदेशक एवं
अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी,
आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय, समस्त जिले।

विषय— जन आधार एप्लीकेशन 2.0 पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान जन आधार योजना के क्रियान्वयन को और अधिक सरल व सुचारु बनाये जाने के लिए जन आधार एप्लीकेशन 1.0 के स्थान पर जन आधार एप्लीकेशन 2.0 लाया जा रहा है। इस जन आधार एप्लीकेशन 2.0 पर जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक जिले पर तीन मास्टर ट्रेनर तैयार किये जाने हैं। इन तीन ट्रेनरों में से एक ट्रेनर संयुक्त/उप निदेशक एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय होंगे, दूसरा ट्रेनर जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय का ही अन्य कार्मिक जो जन आधार योजना से जुड़ा हो, होगा तथा तीसरा ट्रेनर उसी जिले का कोई भी एक ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी होगा। इस प्रकार केवल इन तीन प्रतिभागियों को ही निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किये जा रहे एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लिया जाना है—

प्रशिक्षण कार्यक्रम		
प्रशिक्षण स्थल— कृष्ण पुरी भवन, एच.सी.एम., रीपा (ओ.टी.एस.), जयपुर।		
क्र. सं.	जिले	प्रशिक्षण दिनांक (समय— 9:30 am से 6:00 pm)
1.	जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, कोटपूतली—बहरोड, खैरथल—तिजारा, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, डीग, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही	03.07.2025
2.	उदयपुर, चित्तौडगढ़, सलूम्बर, राजसमन्द, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना—कुचामन, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड	04.07.2025

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को भाग लिया जाना सुनिश्चित करें।



कार्यालय का पता :— कमरा नं. 318 तृतीय तल, योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर।
फोन नं. 0141-2850220 ईमेल आई.डी. —janaadhaar.dcs@rajasthan.gov.in
वेब साइट:—https://janaadhaar.rajasthan.gov.in

Signature valid

Digitally signed by Nirmla Kumar Sethi
Designation: (निर्मला कुमर सेठी)
Date: 2025.06.30 13:53:12 IST
Reason: Approved

क्रमांक : एफ17(15)2/रा.ज.आ.प्रा./ट्रेनिंग/2022/ 1602-09

दिनांक: 30-06-2025

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं पदेन अति. महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर भी उपरोक्तानुसार जिला कार्यालयों को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी, समस्त जिले।
6. प्रभारी PMU व तकनीकी शाखा, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर को उक्तानुसार कार्यक्रम में जन आधार एप्लीकेशन 2.0 पर प्रशिक्षण देने के व्यवस्थार्थ।
7. प्रभारी लेखा शाखा, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
8. प्रभारी स्टोर शाखा, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Nirmla Kumar
Sethi
Designation : Director
Date: 2025.06.30 13:53:12 IST
Reason: Approved